बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना

(DEPT. OF HR & ADMINISTRATION)

(Regd. Office:- Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)

Contact No.: 7763817975,7763818077, email-dgmhr1015.bsptcl@gmail.com, website-www.bsptcl.in

TIN VAT NO-10011257007, TIN CST NO-10011146136, CIN-U40102 BR 202 SGC 018889

पत्रांक– Tr-I/ Alleg./ESE/32004/2023 **दिनांक–**

प्रेषक,

जवाहर प्रसाद,
उपमहाप्रबंधक (मा.सं. / प्रशा.)

सेवा में,

हरेन्द्र कुमार सिंह,
प्रभारी विद्युत अधीक्षण अभियंता,
संचरण अंचल, डेहरी–ऑन–सोन।

विषय– चेतावनी।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक के सम्बध में कहना है कि श्री राजीव रंजन कुमार, ग्राम– रतुबिगहा, पो0+थाना–डालमियानगर, जिला– रोहतास (बिहार) द्वारा महिन्द्रा स्कार्पियो गाड़ी सं.–BR26K5433 संचरण प्रमंडल, औरंगाबाद कार्यालय में विभागीय नियमानुसार किराये पर दिया गया था। श्री कुमार द्वारा उक्त कार्य के एवज में आपके विरुद्ध प्रतिमाह घूस के रूप में राशि रु.24,000/– लेने का आरोप लगाया गया। उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि सितम्बर महीना, 2022 का घूस रु.24,000/– नहीं भेजे जाने पर आपके द्वारा सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर माह, 2022 का बिल पास नहीं कराया गया तथा आपके द्वारा विद्युत अधीक्षण अभियंता से गाड़ी की सेवा समाप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। उक्त मामले की जाँच हेतु महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरण जोन, पटना द्वारा जाँच समिति का गठन किया गया। जाँच समिति द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से यह ज्ञात हुआ है कि आपके संचरण प्रमंडल, औरंगाबाद कार्यालय में विद्युत कार्यपालक अभियंता के रूप में पदस्थापन के दौरान आपके ड्राईवर के द्वारा ही परिवादी द्वारा आपके कार्यालय को उपलब्ध कराये गये उक्त गाड़ी का संचालन किया गया तथा डीजल खर्च हेतु बात–चीत के आधार पर आपके द्वारा परिवादी से अपने बैंक खाते में राशि प्राप्त किया गया। इस क्रम में आपके द्वारा अपने बैंक खाते में दिसम्बर 2021 से मई 2022 तक प्रति माह रु.15,995.28 तथा जून 2022 में राशि रु.23,995.28/– प्राप्त किया गया। उक्त कथन की स्वीकृति आपके द्वारा लिखित रूप में भी दी गई है एवम् जाँच प्रतिवेदन में भी इस तथ्य का उल्लेख आया है।

आपका उक्त कृत्य को बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 के सुसंगत प्रावधानों के प्रतिकूल एवं कदाचार मानते हुए इस कार्यालय के पत्रांक–2348 दिनांक–18.09.2023 द्वारा आपसे स्पष्टीकरण पूछा गया। इसके अनुपालन में आपके पत्रांक–0 दिनांक–25.09.2023 द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित किया गया।

आपके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण मे उल्लेखित तथ्यों के समीक्षा के क्रम मे पाया गया कि आपके द्वारा वाहन मालिक से वाहन परिचालन मद में चालक तथा ईंधन के लिए दिसम्बर,2021 से जून,2022 तक प्रतिमाह अपने बैंक खाते में वर्णित राशि प्राप्त किया गया है, जो नियम एवं प्रक्रिया के दृष्टिकोण से उचित

P.T.O.

नहीं है। जून,2022 के उपरांत उनके द्वारा अपने बैंक खाते में उक्त मद में भुगतान प्राप्त करना बंद कर दिया गया था। साथ ही आपके द्वारा भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं होने के शर्त के साथ क्षमा प्रार्थना किया गया है। इन बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा 'चेतावनी' संसूचित करने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार उक्त प्रसंग में आपको **"चेतावनी"** संसूचित की जाती है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(जवाहर प्रसाद)
उपमहाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.)

ज्ञापांक–.. **दिनांक–**.....................................

प्रतिलिपिः–प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि0 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(जवाहर प्रसाद)
उपमहाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.)

ज्ञापांक– 2986 **दिनांक–** 08/12/23

प्रतिलिपिः–निदेशक(परिचालन)/ निदेशक (प्रोजेक्ट)/सभी महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता, संचरणजोन,/सभी मुख्य अभियंता/सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, /उपसचिव/ सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता, /डी0बी0ए0/ सभी सहायक कार्यपालक अभियंता,बिहार स्टेट पावर ट्रासंमिशन कंपनी लिमिटेड पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. डाटाबेस एडमिनिस्टिेटर, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि0 पटना से अनुरोध है कि इसे कंपनी के बेवसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाय।

8/12/23

(जवाहर प्रसाद)
उपमहाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.)

20